

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- प.1/प्रति.4/सेवानिवृत्त/पुर्ननियुक्त/2014/ 17945

दिनांक:- 15-8-16

विज्ञप्ति

उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर के पत्रांक प.18(6)आयु/2015 पार्ट दिनांक 03.08.16 एवं वित्त(व्यय-1) की आईडी सं. 151600889 दिनांक 01.08.16 की सहमति के अनुसरण में कार्मिक विभाग (क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-आ/94 दिनांक 26.05.2014 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2015 में विहित निर्देशानुसार आयुर्वेद विभागान्तर्गत अधिनस्थ कार्यालयों में निम्न रिक्त पदों पर राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1996 के नियम-164ए के तहत सहमति की दिनांक से एक वर्ष अथवा पदोन्नति/स्थानान्तरण/नियमितरूप से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक,दोनो में से जो भी पहले हो तक की कालावधि के लिये आवेदित पद से सेवानिवृत्त कार्मिकों (जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई हो) उन पात्र कार्मिकों की सेवाएँ संविदा के आधार पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.05.2014 के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर लिये जाने के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	संविदा पर लिये जाने वाले पदों की संख्या
1	लिपिक ग्रेड-आ	2 पद (निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर हेतु)01 पद उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर एवं 01-01 जिला आयुर्वेद अधिकारी श्रीगंगानगर/सवाई माधोपुर/जोधपुर/जालोर/ जैसलमैर/ सिरौही/ बांरा हेतु।

आवेदन पत्र कार्मिक विभाग(क-2) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ17(10)डीओपी/ए-आ/94 दिनांक 26.05.2014 एवं वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2015 में दिए गए निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक पूर्तियाँ कर सेवानिवृत्त आदेश की प्रति,पेंशन स्वीकृति पी.पी.ओ/जी.पी.ओ की प्रतियाँ,गत भुगतान पत्र की प्रति एवं निर्धारित वचन पत्र की प्रति, विभागाध्यक्ष द्वारा संतोषप्रद सेवा का प्रमाण पत्र के साथ संबंधित कार्यालय में दिनांक 31.08.2016 सांयकाल 06 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं तथा निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय एवं आयुर्वेद विभाग की वेबसाईट www.ayurved.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(स्नेहलता पंवार)

नि दे श क